

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10838 / 2568

दिनांक :- 23/01/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री माधुरी कुमावत [लिंक न. 10838] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, सीकर - [3000124] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 16/08/2017 से 23/08/2017 तक 8 दिवस

कुल 8 दिवस

उक्त कुल 8 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री माधुरी कुमावत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोर्न
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10838 / 2568

दिनांक :- 23/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, सीकर
2. कोषाधिकारी सीकर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री माधुरी कुमावत [10838] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, सीकर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)